राष्ट्रीय लोक अदालत
न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डनायक,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

प्रकरण संख्या 39 / 14 तारीख रजू 20 / 05 / 2014

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर। –सायल(प्रार्थी)

बनाम

श्री बाबू खॉ पुत्र श्री खाजू खॉ जाति मुसलमान तेली उम्र 55 साल निवासी नीम चौकी, शहर सवाई माधोपुर थाना कोतवाली सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर

––गेर सायल(अप्रार्थी)

अभियोग–पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975

निर्णय दिनांक– 11 / 02 / 17

पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल(अप्रार्थी) श्री बाबू खॉ पुत्र श्री खाजू खॉ जाति मुसलमान तेली उम्र 55 साल निवासी नीम चौकी, शहर सवाई माधोपुर के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल(अप्रार्थी) के विरूद्व थानाधिकारी थाना कोतवाली मे तहत0 जिला सवाईमाधोपुर मे निम्न अभियोग पंजीवद्व होना बताया है।

[illegible]	मुकदमा नम्बर	दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	दिनांक	फैसला
[illegible]	275 / 10	23 / 06 / 10	13 आरपीजीओ	175	30 / 06 / 10	सजा 50 रू जुर्माना सीजेएम कोर्ट
[illegible]	75 / 12	14 / 02 / 12	13 आरपीजीओ	53	27 / 02 / 12	सजा 100 रू जुर्माना सीजेएम कोर्ट
[illegible]	35 / 13	16 / 03 / 13	13 आरपीजीओ	51	30 / 03 / 13	पेण्डिग कोर्ट
[illegible]	158 / 13	04 / 05 / 13	13 आरपीजीओ	105	27 / 05 / 13	सजा 200 रू जुर्माना सीजेएम कोर्ट
[illegible]	471 / 13	25 / 11 / 13	13 आरपीजीओ	285	27 / 11 / 13	पेण्डिग कोर्ट

उक्त पंजीवद्व आपराधिक प्रकरणो मे बाद जॉच चार्जशीट किता कर संबंधित न्यायालय मे चालान पेश किया गया। सक्षम न्यायालय द्वारा गैरसायल को उक्त प्रकरणो मे दोषी मानते हुए जुर्माना से दण्डित किया गया है। गैरसायल जुआ सट्टे में लिप्त रहकर स्थानीय भोले भाले सीधे लोगों को दाव पर धन लगाने के लिए उकसा कर तथा हार जीत के खेल अंको के आधार पर दाव पर लगाकर खाई वाली करता है तथा गैरसायल ने इस सट्टे की कार्यप्रणाली को अपनी आमदनी का पैसा बना लिया है। गैर सायल को अपने निवास स्थान सवाई माधोपुर में रहने देना लोक व्यवस्था व लोक क्षेत्र के लिए घातक है। गैरसायल के खिलाफ जुआ सटटा जैसे कई प्रकरण दर्ज है, जिसमें गैरसायल का चालान समय–समय पर न्यायालय में पेश किया गया है। जिनमें से तीन प्रकरणों में न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्व किया जा चुका है एवं शेष दो प्रकरण पेन्डिग है। लेकिन गैरसायल बिना किसी कानून के डर से उक्त अपराध बार–बार कर रहा है। जिससे सरकार एवं पुलिस प्रशासन की छवि धुमिल हुई है, जो लोक व्यवस्था एवं लोक क्षेत्र के लिए घातक है। अतः गैर सायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम ,1975 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

अभियोग पत्र के साथ तालिका मे अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट,चार्जशीट प्रति,न्यायालय निर्णय प्रतियां प्रस्तुत की है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 के नियम–4 मे उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल जरिये अभिभाषक न्यायालय उपस्थित आया। गैरसायल श्री बाबू खॉ पुत्र श्री खाजू खॉ जाति मुसलमान उम्र 35 साल निवासी नीम चौकी, शहर सवाई माधोपुर द्वारा आरोप पत्र मे लगाये आरोपों का खण्डन करते हुए जवाब पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य मे श्री रण सिंह डिप्टी एस०पी० जीआरपी जोधपुर के बयान करवाये तथा गैरसायल की ओर से बचाव साक्ष्य हेतु बार–बार अवसर प्रदान करने पर गैरसायल मय वकील ने अवगत कराया कि वे साक्ष्य बचाव पक्ष नहीं करवाना चाहते है।

गैर सायल द्वारा उक्त प्रकरण का निस्तारण लोक भावना से करवाने हेतु निवेदन करने पर आज दिनांक 11/02/2017 राष्ट्रीय लोक अदालत के अन्तर्गत अभियोजन अधिकारी व विद्वान वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गयी।

अभियोजन अधिकारी ने बहस मे तर्क दिया कि अप्रार्थी को पुलिस द्वारा पांच बार 13 आरपीजीओ अधिनियम के अन्तर्गत कृत्य कारित करते हुए पकडे जाने पर बाद अनुसंधान आपराधिक अधिकारिता न्यायालय मे चालान पेश किया गया। उक्त प्रकरणो मे माननीय न्यायालय द्वारा गैरसायल को 13 आरपीजीओं के तीन प्रकरणों में अपराध सिद्व ठहराते हुए जुर्माने से दण्डित किया है। 13 आरपीजीओं का उक्त अपराध समाज के लिए अभिशाप है जो जनहित के लिए हानिप्रद एवम् समाज मे दुष्प्रेरणा प्रसारित करने व शांत वातावरण को दूषित करने वाला है। गैर सायल 13 आरपीजीओ के अन्तर्गत तीन बार दोषी पाये जाने पर गुण्डा की परिभाषा मे आता है। अतः गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करते हुए जिले से निष्काषित किया जावे।

विद्वान वकील गैर सायल ने जवाब मे अंकित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि पुलिस ने गलत तथ्यो के आधार पर गेर सायल के विरूद्व इस्तगासा पेश किया है जो ड्राप किये जाने योग्य है। गैरसायल जुआ सट्टा जैसा कोई कार्य नहीं करता है। नाही किसी को जुआ सट्टा हेतु प्रेरित करता है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत सभी तथ्य मनगठन्त है। गैरसायल के खिलाफ कोई चोरी, लूटपाट,हफता वसूली, मारपीट, महिला छेडछाड , का कोई केस नहीं है। पुलिस प्रशासन द्वारा टारगेट पूरा करने के उद्देश्य से गैरसायल के विरूद्व अभियोग दर्ज करवाया है। गैर सायल बाल बच्चे वाला व्यक्ति है। गैर सायल को जिला बदर किया जाता है तो वो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पायेगा। गैर सायल उक्त प्रकरण का निस्तारण लोक भावना से करवाना चाहता है। अतः आज राष्ट्रीय लोक अदालत के अन्तर्गत गैर सायल के खिलाफ प्रस्तुत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के संबंध में प्रस्तुत अभियोग पत्र की कार्यवाही ड्राप की जावे।

अभियोजन अधिकारी व विद्वान वकील गेर सायल की बहस सुनने व मनन करने तथा अभियोग पत्र पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य का भलीभंति अवलोकन करने के पश्चात हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्व है कि गैरसायल के खिलाफ थाना कोतवाली सवाई माधोपुर मे पांच प्रकरण 13 आरपीजीओ के अन्तर्गत पंजीवद्व हुए है तथा बाद अनुसंधान इन आपराधिक प्रकरणो मे आपराधिक अधिकारिता न्यायालय मे चालान प्रस्तुत करने के उपरान्त माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर द्वारा गेर सायल को 13 आरपीजीओं के तीन प्रकरणों अपराध करने का दोषी पाया जाकर जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया गया है। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 2(ख)(3) के अन्तर्गत 13 आरपीजीओं अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम दो बार दोष सिद्व व्यक्ति को "गुण्डा" की श्रेणी मे माना गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेख माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर के निर्णय द्वारा गैर सायल धारा 13 आरपीजीओ अधिनियम के अन्तर्गत तीन बार दोष सिद्व होने की पुष्टि होती है एवं दो प्रकरण पेन्डिग है तथा इन अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर गेर सायल द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

12/P

[illegible] 1975 की धारा 2(ख)(3)मे वर्णित अपराध कारित किया जाना स्पष्टतः साबित होता [illegible]

[illegible] उक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि–

[illegible] सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 2(ख)(3) मे वर्णित अपराध [illegible] करने का आदी है एवम् गैर सायल को उक्त तालिका मे अंकित तीन अपराधो मे [illegible] न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर के निर्णय द्वारा तीन बार दोष [illegible] करार दिया जा चुका है। अतः गैर सायल "गुण्डा" की श्रेणी मे आता है।
[illegible] सायल की गतिविधियां एंव प्रवृतिया अनैतिक एवम् दुष्प्रेरित है जो थाना क्षेत्र सवाई [illegible] जिला सवाईमाधोपुर के लिए घातक एवम् खतरनाक है तथा जनसाधारण के लिए [illegible] व दुष्प्रेरणा से प्रेरित करने वाली है।
[illegible] सायल के विरूद्व यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार है कि गैर सायल जिले मे [illegible] गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 2(ख)(3) मे वर्णित आपराधिक कृत्य [illegible] करने मे संलिप्त है।
[illegible] सायल का कृत्य अनैतिक है जो समाज के लिए अभिशाप है।

लिहाजा–

[illegible] सिंह देवल ,अतिरिक्त जिला दण्डनायक,सवाईमाधोपुर गैर सायल श्री बाबू खॉ [illegible] खाजू खॉ जाति मुसलमान तेली उम्र 55 साल निवासी नीम चौकी, शहर सवाई [illegible] को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत "गुण्डा" [illegible] करता हूं चुंकि गैरसायल उक्त प्रकरण का निस्तारण लोक भावना से करवाना चाहता [illegible] भविष्य में इस प्रकार का कोई अपराध न करने के संबंध में निवेदन किया है। अतः [illegible] को पन्द्रह दिवस की समयावधि के लिए जिला सवाई माधोपुर व थाना सवाई [illegible] से निष्कासित करने का आदेश देता हूं। एस.एच.ओ. थाना कोतवाली सवाई [illegible] को आदेश जारी हो कि वे आदेश प्रसारित की तिथि से 15 दिवस पश्चात गेर [illegible] पन्द्रह दिवस की समयावधि के लिए जिला बूंदी के थाना इन्द्रगढ़ पर रहने हेतु [illegible] थाना इन्द्रगढ जिला बूदी को सुपुर्द करे। गैर सायल को सुविधाजनक मार्ग से [illegible] गैर सायल वहां रहने की जानकारी के लिए थाने मे उपस्थिति देगा एवम् [illegible] की समाप्ति से पूर्व जिला सवाई माधोपुर के किसी भी भाग मे प्रवेश नही [illegible] की एक प्रति पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर/थानाधिकारी थाना कोतवाली [illegible] एवं थानाधिकारी थाना इन्द्रगढ जिला बूंदी को भेजे व एक प्रति गेर सायल [illegible]

[illegible] दिनांक 11/02/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

11/2/17

[illegible]

11-2-17

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर